न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 235 / 2016 दायरा दिनांक : 05.10.2016

उनवान

राधेश्याम आयु साल पुत्र श्री मोहनलाल, जाति धाकड़, निवासी बरखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां

......अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार अन्ता, जिला बारां

.....रेस्पोडेट

बहस हेतु उपस्थिति :– अभिभाषक अपीलांट – श्री राजेश कुमार गुप्ता

अभिभाषक रेस्पोडेंट – पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 09.05.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बारां के निर्णय दिनांक 26.04.2016 प्रकरण संख्या 244 / 2015 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय नायब तहसीलदार अन्ता के प्रकरण सं0 349 / 2015 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.11.2015 से अपीलांट को ग्राम बरखेड़ा, तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 145 रकबा 0.10 हैक्टर, किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए 30 दिन के सिविल कारावास की सजा एवं 120 / – रूपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है । इस निर्णय के विरूद्व अपीलांट की प्रथम अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.04.2016 से खारिज की गई है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभय पक्षीय सुनी गई ।

अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया गया है एवं समस्त पैनेल्टी राशि जमा करा दी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अतः सिविल कारावास की सजा माफ करने की प्रार्थना की ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवायी गयी थी। अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । पत्रावली में तहसीलदार अन्ता के पत्र क्रमांक/राजस्व/62 दिनांक 26.02.2019 के साथ मौका रिपोर्ट की मूल प्रति सलंग्न है जिसके अनुसार ग्राम बरखेड़ा, तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 145 रकबा 0.10 हैक्टर, किस्म चारागाह पर प्रार्थी राधेश्याम पुत्र श्री मोहनलाल, जाति धाकड़, निवासी बरखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां का कोई कब्जा नहीं पाया गया, उक्त भूमि खाली है । अतः कब्जा छोड़ने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2016 अपास्त किया जाता है लेकिन बेदखली और शास्ति की सजा यथावत रहेगी और सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है ।

आदेश आज दिनांक 09.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा